शीर्ष प्राथमिकता

संख्या 63/1825/बावन-1-2014-7(एम0एस0डी0पी0)/11

प्रेषक,

राकेश कुमार मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 27 जून, 2014

विषय- मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद लखीमपुर खीरी के फूलबेहड में स्वास्थ्य केन्द्र (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) के भवन निर्माण हेतु केन्द्रांश की अवशेष **द्वितीय किश्त** एवं उसके सापेक्ष बनने वाला राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(10)/2008-पी0पी0-I, दिनांक 30.03.2012 के क्रम में जारी शासन के पत्र संख्या-3104ए/52-1-2012-07(एम0एस0डी0पी0)/11, दिनांक 25 सितम्बर, 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे उक्त जनपद के फूलबेहड में स्वास्थ्य केन्द्र (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) के भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** के पक्ष में धनराशि की प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(10)/2008-पी0पी0-I, दिनांक 20.05.2014 से उक्त योजना हेतु कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 256.82 लाख के सापेक्ष अवशेष **द्वितीय किश्त** के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 1,28,41,000/- (रू0 एक करोड अट्ठाइस लाख इक्तालि□ □□□ मात्र) एवं उसके सापेक्ष बनने वाला राज्यांश रू0 22,66,000/- (रू0 □□□□ □□□ □□□□ □□□□ मात्र) अर्थात् कुल रू0 1,51,07,000/- (रू0 एक करोड इक्यावन लाख सात हजार मात्र) □□□□ □□लिए मात्र वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रस्तावित बजट रू0 3000.00 लाख के सापेक्ष पारित 04 माह के लेखानुदान में से रू0 151.07 लाख अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते□

http://shasanadesh.up.nic.in

हैं:-

(रू0 लाख में)

क्र0	□□□□	□□□□	□□□	□□□□ □□□	□□□ अनुमोदित केन्द्रांश	□□□ राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त (□□0+□□0)	वर्तमान में अवमुक्त द्वितीय किश्त		व वर्तमान में अवमुक्त □□□ □□□□□
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	□□□□□□ खीरी	□□□□□□, खीरी में स्वास्थ्य केन्द्र (□□□□□□ स्वास्थ्य केन्द्र)	01	302.14	256.82	128.41	151.07	128.41	22.66	151.07
		□□□	01	302.14	256.82	128.41	151.07	128.41	22.66	151.07

1- अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इस सक्षम स्तर की सवीकृति, यदि वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक □□, प्राप्त क□□□ ही व्यय किया जाय। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जाये□□ तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना में लगायी गयी शर्तों क□ □□□□□□ सुनिश्चित किया जायेगा।

2- अवमुक्त □□□□□ □□□□, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 लखनऊ के माध्य□ □□ कार्यदायी संस्था **कन्सट्रक्शन □□ड डिजाइन सर्विसेज, □□□□ (C&DS)** □□□□□□ को हस्तान्तरित की जायेगी। प्रश्नगत कार्य को 03 माह में अनुमोदित लागत से पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। प्रश्नग□ फूलबेहड में स्वास्थ्य केन्द्र (□□□□यिक स्वास्थ्य केन्द्र) □□ □□□ निर्माण, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित मानक एवं क्षेत्रफल के अनुसार गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जायेगा। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के□ □□□□, के मध्य □□ □□□ □□ □□0□0□0 (मेमोरेण्डम ऑफ अण्डर टेकिंग) भी हस्तान्तरित किया जायेगा।

3- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों पर योजन□ के मार्ग-निर्देशों तथा समय-2 पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों की अधीन किया जाये□□

4- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-2 पर जारी दिशा-निर्देशों एवं

http://shasanadesh.up.nic.in

सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा उ सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेश□, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 □□□□ □□ राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

6- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल-रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7- अवमुक्त धनराशि के उपयोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8- अवमुक्त धनराशि के य का जिलाधिक /मुख्य चिकित्साधिकारी से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-2 प्रतियों में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेंगी। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमात्र-पत्र एवं उक्त अन्य □□□□ □□□ को उपलब्ध कराये जायेंगे।

9- फूलबेहड में स्वास्थ्य केन्द्र (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण होने के उपरान कार्यदायी संस्था द्वारा उनके ह न्तरण की कार्यवा जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा योजना से सम न्धित विभाग के अधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

10- इस योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का 01 पृश□ □□ □□□□ ग्राही (Grantee) द्वारा मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त् धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली नियमा□□ □□□□, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 लखनऊ द्वारा की जायेगी।

11- प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर कार्यदायी संस्था द्वारा एक बोर्ड भी निर्मित किया जायेगा जिस पर योजना की लागत, बजट का स्रोत, □□□□ □□ स्वीकृत होने □□□, भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि तथा कार्यदायी संस्था का नाम अंकित किया जायेगा।

12- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के लेखानुदान एवं तद्सम न्धी विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत निधि से पूरित हो तथा पश्चातवर्ती अवधि □□ □□□

आवश्यक धन व्यवस्था वर्ष 2014-15 □□ □□ □□-व्ययक एवं तद्सम्बन्धी विनियोग अधिनियम द्वारा उपलब्ध हो □□□□

13- उक्त के फल स्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 □□ □□-व्ययभ□ □□ अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक ''4235-सामाजिक सुरक्षा तथा क □ □□ □□□□□ परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01 केन्द्रीय आयो□□□□□/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0106-**अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण (के0 85-□□0 15-□□0+□□0)**-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला □□□□□

14- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-11-850/□□-2014, दिनांक 24.06.2014 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(राकेश कुमार मिश्र)
संयुक्त □□□□

संख्या (1)/□□□□-1-2014तद्दिन□□

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- □□□□□□□□, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, □□□□□□□□

2- □□□□□□□□, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय 0प्र0, □□□□□□□□

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, □0प्र0 □□□□

4- □□□□□, □□□□, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11□□□□, पर्यावरण □□□, □□0□□0□0 काम्पलेक्स □□□ □□, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत फूलबेह□ में स्वास्थ्य केन्द्र (□□□□□ स्वास्थ्य केन्द्र) के भवन निर्माण की गुणवत्ता अपने स्त□ □□□□ सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

6- □□□□□, **कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, □□□□ (C&DS)** □□ □□ □□□ □□ प्रेषित कि प्रश्नगत केन्द्रों □□ □□□□□तर्गत, मानक एवं गुणवत्ता के साथ निर्माण पूर्ण कराने का कष्ट करें।

7- जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, **लखीमपुर खीरी** को इस आशय से प्रेषित कि कृपया निर्मित होने वाले फूलबेहड में स्वास्थ्य केन्द्र (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) के भवन निर्माण का गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- मुख्य कोषाधिकारी, □□□□□ □□□, □□□□□

9- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण□, □□□□□□□, □□□□ □□ □□ आश्य से प्रेषित कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ कष्ट करें।

10- □□□□□□□, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, □0प्र0 □□ □□ सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि आहरित नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

11- वित्त-ई-11 □

12- वित्त (आ□-व्यय□) □□□□□-1 को स्वच्छ प्रति की 03 प्रतियां।

13- □□□□ □□□□, □□0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज उत्तर प्रदेश को □ 0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

14- □□□□ □□□□, प्रमुख □□□□, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख □□□□ महोदय के अवलोकनार्थ।

15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार मिश्र)
संयुक्त □□□□

http://shasanadesh.up.nic.in